

1:25 PM
2/2/14

201

क्रमांक 242

नाम निर्देशन-पत्र

लोक सभा निर्वाचन - 2014

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय
राजनांदगांव
2014

प्रकरण 2 क

(नियम 4 देखिए)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

नामानिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए _____ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ।
 अभ्यर्थी का नाम _____ पिता/माता/पति का नाम _____ उसका डाक पता _____
 _____ उसका नाम _____ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट
 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं _____ में क्रम सं _____ पर प्रविष्ट है।
 मेरा नाम _____ है जो _____ संसदीय
 निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट _____ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं _____ में क्रम
 सं _____ पर प्रविष्ट है।

तारीख _____

(प्रत्यापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 10 क्षेत्र संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
 जो अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम अर्जुन सिंह ठाकुर
 पिता/माता/पति का नाम श्रीमान राम ठाकुर
 उसका डाक पता समाप्त कालांगी पंचका का/ 5 मारगावरी 20/11/9
 उसका नाम 6 कालांगी 11/9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा 78 मारगावरी 11/9)

निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 207/530 में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में
 जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज हैं और हम इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वसम्प अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रत्यापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्र. सं.	प्रत्यापक का निर्वाचक विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र घटक का नाम	नामावली संख्याक निर्वाचक नामावली का घटक संख्याक	उत्तर भाग में क्रम सं.	पता नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	85 बरतार	171	12	सहदेव कावरे पिता- श्री स्वभाकावरे		20/03/14
2	85 बरतार	173	742	श्यामक भारती पिता- सितक भारती		20/3/14
3	85 बरतार	173	752	जलावती भतना पति- मोन्चा भतना		20/3/14
4	85 बरतार	173	757	वर्षाधर भारती पिता- सुरेश भारती		20/3/14
5	85 बरतार	173	760	सोहन धार भारती पिता- सितक भारती		20/3/14
6	85 बरतार	173	763	सोहन भारती पिता- लखवसुधु भारती		20/3/14
7	85 बरतार	173	755	सोनाधर गोपाल पिता- सोहन गोपाल		20/3/14
8	85 बरतार	173	758	सुनारती भारती पिता- सुरेश भारती		20/3/14
9	85 बरतार	173	761	कमला भारती पति- आशीरुधी भारती		20/5/14
10	85 बरतार	173	741	सोहन भारती पिता- सितक भारती		20/3/14

कुलका स्थान में - प्रत्यापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में 10 निर्वाचक होने चाहिए।

संविधान सं. कां. 88 (3) तारीख 9 अगस्त 1996 द्वारा प्रारूप 2क से 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग- 3

मैं, भाग 1/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अर्थों में नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 54 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में आम्बेडकरवादी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, राजिष्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अर्थों के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में

(i) कोट (ii) _____ (iii) _____ है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर बिन्ही (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निर्वाचित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ह. ग. राज्य के उस राज्य में के बालासोर (क्षेत्र) के संघ में अनुसूचित *** जति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे संघारण निर्वाचन/सुप निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थों के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 20/03/14 (अर्थों के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट किञ्चन सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अनिर्देशित है।

भाग- 3 क

(अर्थों द्वारा भरा जाए)

क्या अर्थों को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की

(क) उपधारा (1) के अर्थों किसी उपरबध (अपरबधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किरी विधि के उत्सर्जन के लिये सिद्धोप उल्लेख किया है, या

हाँ/नहीं

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो अन्यथा निम्नलिखित जानकारी देना :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याक निवेक
- (ii) पुलिस थाना (थाने) _____ जिला (जिले) _____ राज्य _____
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था। निवेक
- (iv) दोष सिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) निवेक
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अन्यथा को सिद्धदोष ठहराया था नाएक करी
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें। निवेक
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) निवेक
- (viii) क्या उच्चोत्तरा दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे। हां/नहीं नाएक करी
- (ix) स्थापित की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विषयवस्तु निवेक
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे। नाएक करी
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं। निवेक
- (xi) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) निवेक
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) निवेक

स्थान : 67016042
तारीख : 20/03/14

[Signature]
अन्यथा के हस्ताक्षर

भाग- 4

(रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं. 2(1)

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 20/3/14 (तारीख) को 1:25 (बजे) * अन्यथा/प्रथमस्थ द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 20/3/14

[Signature]
रिटनिंग ऑफिसर
10-बस्तर (अ.ज.जा.)

ATTESTED

STAMP DUTY EXEMPTED
FOR DISTRICT AND C.S. STAMP

(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	निरंक
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	निरंक
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई।	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे।	निरंक
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / है।	लागू नहीं



निम्नलिखित अधिनियम (अधिनियमों) में विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न):-

(क)	जिसमें न्यायालय को न्यायालय संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	निरंक
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	निरंक
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे।	लागू नहीं



(6) मुझे किसी अपराध किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए निम्नलिखित उल्लेखित किया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोप ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोप ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धोप ठहराया गया है।	निरंक
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)।	निरंक
(ग)	अधिरोपित दंड	निरंक
(घ)	क्या सिद्धोप ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है, यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति।	लागू नहीं

[Handwritten Signature]

(7) मैं भेरे, भेरे धति या फत्नो और सभो आभितो की आस्तियो - (जंगम और स्थावर आदि) के ध्योरे नीचे देता हूं -

अ. जंगम आस्तियो के ध्योरे:

टिप्पण 1 - संबुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संबुक्त नाम में आस्तियो का भी धिवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2 - जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ध्योरे दिए जाने हैं.

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियो के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियो की दशा में लेखाबधियो के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पण 4 - यहां आभित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 (क) के अधीन स्पटीकरण (6) में है.

टिप्पण 5 - रकम सहित ध्योरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम सं.	विवरण	स्वध	धति या फत्नी	आभित-1	आभित-2	आभित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000/-	10000/-	1000/-	1000/-	निरंक
(ii)	बैंक खातों में जमा के ध्योरे (नियत जमा, आधधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियो और सहाकारी संस्थाधियो के जमा जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम.	150000/-	10000/-	1000/-	1000/-	निरंक
(iii)	कंपनियो, पारस्परिक धधियो और अन्य में जमा के ध्योरे / शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ध्योरे और रकम.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iv)	संविधान के ध्योरे और रकम.	25000/-	34000/-	निरंक	निरंक	निरंक
(v)	किरी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अधिन और अधियो से अन्य प्राप्य तथा रकम.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(vi)	मोटर्सवान / वायुयान / धाट / पोत (मिक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

NOTAR
Ajay Singh
TAH - JAGDALPUR
BASTI CIVIL DISTRICT
Date: 25-3-2010
GOVT OF U.P.



(Handwritten signature)

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (बरतुर) (भार और मूल्य के ब्यारे)	निरंक	साता 30 रात 90 रात का 20 तोला 470 ग्राम	निरंक	निरंक	निरंक
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/ हित का मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ix)	समग्र कुल मूल्य	90000/-	187000/-	निरंक	निरंक	निरंक

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्थावित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(ए)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	13.8120	निरंक	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	निरंक	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	31/1/2014	निरंक	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21 लाख	निरंक	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधाल		निरंक	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25 लाख				
(अ)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)			निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	04.950, 215325 SF.	0.9120, 34639 SF.	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		1997	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		50 लाख	निरंक	निरंक	नाश्रित नहीं

	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	20 नरक	5 नरक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	अनुमानित धालू बाजार मूल्य	3 कर/रु	1 कर/रु 6 नरक	निरंक	निरंक	लाभ नही
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
	अनुमानित धालू बाजार मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	लाभ नही
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	निरंक		निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	निरंक	0.04 एकड़ 1740 S.F.	निरंक	निरंक	लाभ नही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	निरंक	1740 S.F.	निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नही	नही	निरंक	निरंक	लाभ नही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	निरंक	संग 2000/	निरंक	निरंक	लाभ नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	निरंक	60000/	निरंक	निरंक	लाभ नही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	निरंक	12,00,000/-	निरंक	निरंक	लाभ नही
	अनुमानित धालू बाजार मूल्य	निरंक	35 नरक	निरंक	निरंक	लाभ नही



(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
(vi)	पूर्वोक्त (i) में (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी

(e) मैं, जहाँ वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को बोधों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

कृपया कृपया, संस्था/निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें।

	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i) वितीय संस्थाओं (संस्थाओं) को देय या शोधित या वितीय संस्था का धन, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	निरेक	इलाहाबाद का शोध 250000/-	निरेक	निरेक	जायगी
पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यापिकों, निकाय को ऋण या शोध नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
कोई अन्य दायित्व	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
दायित्वों का कुल योग	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
(ii) सरकारी शोध :					
सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
टेलीफोन/भोवाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
आय - कर शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
धनकर शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी
सेवाकर शोध	निरेक	निरेक	निरेक	निरेक	जायगी

(Signature)

7.		का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणों फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ADWPT2278A	2012-13	150,000/-		
	(ख) पति या पत्नी	ALGPT791467	2012-13	4,8,276/-		
	(ग) आश्रित	AIPPT0534P AAGPT3940P	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,45,000/-	4,91,000/-	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
	व्योक्त आस्तियां			निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
	व्योक्त स्थावर संपत्ति की	21,00,000/-	50,000/-	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
	अन्य स्थावर संपत्ति की	20,00,000/-	5,00,000/-	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
	निम्नलिखित की			निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत			निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	3,00,00,000/-	1,06,00,000/-	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
9.	दायित्व			निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
(i)	सरकारी शोध (कुल)	निर्दिष्ट	0	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	निर्दिष्ट	250,000/-	निर्दिष्ट	निर्दिष्ट	लाभ नहीं

10.	ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: <i>श्री. ए. एल. एल. वी. डिग्री प्रोग्राम मुका. अकादमी, 1979</i> <i>जि.पी.सका. अकादमी, राय विधि, नालगा. 2019</i> (प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्राप्ति का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योचित्र है।)					



सत्यापन

अभिसारी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग भ्रम्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, और यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले के भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे अभिभावकों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.)

आज तारीख 20/03/14 को सत्यापित किया गया

Arjun Singh
अभिसारी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए.
- टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कथित करने का प्रथम वर्ग सविस्तर के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए.
- टिप्पण : 3 सभी स्तरों को पत्र जाना चाहिए और कोई सत्य खाली न छोड़े, जो कि जो मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो स्थिति "शून्य" या "जानू नहीं होता" उल्लिखित होना चाहिए.
- टिप्पण : 4 शपथपत्र दफिन या सुचारु रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए.
- टिप्पण : 5 माननीय उच्च न्यायालय के दिव्यदिवस अनुसंधान 121 दिवस इतिहास विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 13/08/2013 के पठित आदेश के परिपालन में चुनाव प्रदान हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) में प्रत्येक बिन्दु की जानकारी को पत्र जाना आवश्यक किया गया है। शपथ पत्र में प्रत्येक बिन्दु के समक्ष अपेक्षित जानकारी नहीं पावे। दिव्यदिवस अधिनियम नामांकन के समय उम्मीदवारों द्वारा पत्र जाने वाले शपथ-पत्र को जांच कर सुनिश्चित करने की शपथ-पत्र के प्रत्येक बिन्दु के विरुद्ध घोषित की गई है। कोई कालम नहीं भरा गया हो तो दिव्यदिवस अधिनियम एवं उम्मीदवारों का पत्रानुसंधान करने हेतु लिखित रूप से चुनाव अधिकार निर्वाचित कालम की जानकारी करने का कार्य निर्दिष्ट होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी कालम विशेष के विरुद्ध घोषित करने हेतु उम्मीदवार से संबंधित नहीं है जो बेटी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा कालम के समक्ष "निरंक" "जानू नहीं" या "जानता नहीं" लिखा जावेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई कालम खाली नहीं रहेगा। शपथ-पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् ही उम्मीदवार विरुद्ध कालम में उम्मीदवारानुसार जानकारी नहीं करता तो ऐसी परिस्थितियों में पत्र प्रकार के नाम निर्देशन पत्र सर्वोच्च के पठित दिव्यदिवस अधिनियम के द्वारा निरस्त करने योग्य होगा।
- टिप्पण : 6 पैरा 3 में शपथ-पत्र (Affidavit) में साथ निम्नलिखित जानकारी भी भरें।
 मेरा टेलीफोन नंबर (S) is/was.....*9406371295*.....
 मेरा ईमेल आईडी (if any) is/was.....*advocatearjunsingh@in.com*.....
 और मेरा सोशल मिडिया एकाउंट (if any) are.....

Arjun Singh

STAMP DUTY EXEMPTED
FOR OBC/ST/SC VIDE C.G. GOVT.
Notification No. F-101203 dt. 17-02-03

श्री अर्जुन सिंह बन्सु पिता/पति श्री ज्ञानेंद्र राम ठाकुर
ने दिनांक 20/3/2014 को मेरे सामने शपथ
ग्रहण की, मैं स्वयं उन्हें (अथवा)

श्री नरेन्द्र बंसोड
द्वारा उनकी पहचान की गई है, जिनका/जिनके
हस्ताक्षर यहां जोड़ा गया है/जोड़े गये हैं। मैं शपथकर्ता को जानता
एवं पहचानता हूँ।

अर्जुन सिंह नाग
नोटरी/एडवोकेट
राजेन्द्र नगर वार्ड
पुराना गीषम नाका के पास
जगदलपुर-494001
जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
मेरे समक्ष किये गये हैं।




हस्ताक्षर
[Signature]

शपथ अथवा प्रतिज्ञापन का फार्म

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84(क)]

(संसद हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं अजुन सिंह ठाकुर जो राज्य सभा अथवा (लोकसभा) में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेकर सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षेपण रखूंगा।


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती अजुन सिंह ठाकुर ने आज दिनांक 20 माह 09 | 2014 को 571/38 (स्थान) पर 1.27 वजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया।


(प्राधिकाधिकारी और नाम, पदनाम और पता) 10-वर्त (अ.अ.जा.)

सं. 119- 21-1-2117


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(अध्याय 8 -13.1)

प्रति

रिटर्निंग ऑफिसर

10 वरतक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

सहोदय,

मेरे द्वारा 10 वरतक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरा सही नाम नीचे लिखे अनुसार है :-


अर्जुन सिंह ठाकुर
2 - मैं क्षेत्र में निम्न नाम से जाना जाता हूँ अतः मतपत्र में मेरा नाम तदनुसार लिखा जावे

अर्जुन सिंह ठाकुर

स्थान :- ठाकुरगढ़

दिनांक :- 20/03/14

भवदीय



अभ्यर्थी की हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से सम्बंधित अन्य जानकारी

- 1- अभ्यर्थी का नाम :- अर्जुन सिंह ठाकुर
- 2- लोकसभा क्षेत्र जहाँ के नाम- निर्देशन प्रस्तुत किया गया है :- 10 बरतूर
- 3- आजीविका :- विधी व्यवसाय, कालेलाईजर
- 4- शैक्षणिक योग्यता :- स्म. व. स्ल. स्ल. बी.
- 5- विवाहित अथवा अविवाहित :- विवाहित
- 6- डाक का पूर्ण पता :- अमला कालोनी धनेका तिकाला
डोहरगाँव ब.प. बालगाँव (क. 21)
- 7- क्या आप वर्तमान में विधायक/सांसद हैं :- नहीं
- 8- क्या आप वर्तमान में मंत्रीमण्डल के सदस्य हैं यदि हां तो प्रकार का विवरण दें :- नहीं
- 9- क्या आप भूतपूर्व विधायक/सांसद/मंत्री हैं :- नहीं
यदि हां तो कब से कब तक
- 10- क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं :- नहीं


अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार का पहचान पत्र



श्री अर्जुन खिल ठाकुर ^{व्यासपुर} के निर्वाचन के लिए
ID ^{व्यासपुर} निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार है और उन्हें
आम्बेडकरवादी पार्टी आफ इंडिया दल द्वारा खड़ा किया गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान _____

दिनांक _____

सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा अनुप्रमाणित

टीप - यदि उम्मीदवार किसी राज्य सचिव दल या किसी राष्ट्रीय दल या निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत किसी वीर मानता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस दल का नाम दर्ज करना चाहिए अन्यथा इस प्रत्येक के अंतिम कार्यालय को काट देना चाहिए।

RECEIPT

No. 144061

Dated, the 19-03-2014

Serial No. 68

Received from श्री राजुन ठाकुर S/O अनंदराम ठाकुर P/O
 अ.स.स. dated, the 19-03-2014 the sum of
 चारह हजार पांच सौ रुपये मात्र
 by cheque on account of ठाकुर (अ.स.स.) से चुनाव
 खर्च की प्रतिभूति राशि

Rs. 12500/-

Signature & Designation

[Signature]

By Distt. Election Officer
or Distt. Elec. Officer
Distt. Bastar

FORM 'A'

Communication with regard to Authorized Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political Party of REGISTERED UN-RECOGNISED Political Party.

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.)

To,

1. The Chief Electoral Officer,
Chhatisgarh (State/Union Territory),
2. The Returning Officer for the
10 Bhatkal Constituency.

Subject: General Elections to House of People (Lok Sabha) from Chhatisgarh (State/Union Territory) - Allotment of Symbols - Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorized by the party, which is National Party/State Party in the State of Chhatisgarh /Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District(s)/ area (s) constituency/ constituencies in respect of which he has been authorised.
1. Vijay Deorao Mankar	National President	1 Sarguja 2 Raigarh 3 Jangra-Champa 4 Korba 5 Bilaspur 6 Rajnandgaon 7 Durg 8 Raipur 9 Mahasamund 10 Bistar 11 Kanker
2. -		
3. -		

2. The specimen signatures of the above mentioned person (s) so authorised are given below :-

1. Specimen signatures of Mr./Mrs. Vijay Deorao Mankar

(i) _____ (ii) _____

(iii) _____

2. Specimen signatures of Mr./Mrs. _____

(i) _____ (ii) _____

(iii) _____

3. Specimen signatures of Mr./Mrs. _____

(i) _____ (ii) _____

(iii) _____

Yours faithfully,

National President
Ambedkarite Party of India



Jai PraBuddha Bharat
Jai PraBuddha Vishwa th

Ambedkarite Party of India

Place : Nagpur

Date : 5.3.2014

NB.

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM 'B'
NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY

[See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13a of the election symbols (reservation and allotment) order 1968]

To
The Returning Officer for the
10 वरतार Constituency.

Subject- General/bye Election to House of People (Lok Sabha) from 10 वरतार
(Name of the Constituency) in (म.प्र.) (State/Union Territory) - setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of **Ambedkarite Party of India** (party)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye election from this constituency.

Name of the Constituency	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the Substitute candidate who will step in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
10 वरतार	श्री. वि. वि. वि. श्री. वि. वि. वि. श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि.	श्री. वि. वि. वि. श्री. वि. वि. वि. श्री. वि. वि. वि.			

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

प्रमाण - पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के लिये, आयु संबंधी या अन्य सुविचारों चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

1. जिलाध्यक्ष / उपर जिलाध्यक्ष / उपजिलाध्यक्ष / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अभिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थायी प्रमाण - पत्र नीचे प्रारूप के अनुसार होना चाहिए

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुमाण - राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक - राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

प्रमाण - पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक 1049B/121 वर्ष 2006-07

*** जाति प्रमाण पत्र ***

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी जर्जुनतिह

पिता/पति का नाम ज्ञानंदराम निवास ग्राम / नगर जीभी

दि. ख. मानपुर तहसील मानपुर जिला राजनांदगांव संभाग डायपुर

जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को सविधान के अनुच्छेद 241 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया है और यह गौड़ जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत

छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक 1. 16. 1 पर अंकित है, अतः

श्री / श्रीमति / कुमारी जर्जुनतिह

पिता / पति का नाम ज्ञानंदराम अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी जर्जुनतिह

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ₹ हैं।

दिनांक: 12/6/2007



.....
अनुविभागीय अधिकारी,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
छत्तीसगढ़
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

F.No. 56/Symbol/2014/PPS-II/Vol. V

Dated: 1st February, 201

To,

The Chief Electoral Officers of

- (i) Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (ii) Chhattisgarh, Raipur.
- (iii) Jharkhand, Ranchi.
- (iv) Madhya Pradesh, Bhopal
- (v) Maharashtra, Mumbai.
- (vi) Odisha, Bhubaneswar.
- (vii) Rajasthan, Jaipur.

Sub:- General Elections to the Lok Sabha and/or State Legislative Assemblies, 2014- Concession to candidates set up by registered unrecognized political parties- allotment of common symbol under Para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968- Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the application of the Ambedkarite Party of India a registered un-recognized political party for concession in the allotment of a common symbol to its candidates being set up at the forthcoming General Election to the Lok Sabha and/or State Legislative Assemblies, 2014, under the provisions of para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, has been accepted by the Commission. Accordingly, the Commission has decided to extend the concession sought under Para 10B to candidates of the said party for the forthcoming General Election to Lok Sabha and/or State Legislative Assemblies, 2014, in the constituencies mentioned under:-

Sl. No.	Name of the Party	Name of Election(s)		No. of Parliamentary/ Assembly constituencies	Common Symbol allotted.
		Lok Sabha	Legislative Assembly		
1.	Ambedkarite Party of India	Lok Sabha (Andhra	-	7- Malkajgiri, 8- Secunderabad, 9- Hyderabad, 11- Mahbubnagar,	Coat

	Pradesh)		15-Warangal (SC). (Total 05 PCs)
	Lok Sabha (Chhatisgarh)	-	In the 10 PCs of Chhattisgarh as per List given in <u>Annexure- Chhattisgarh -I.</u>
	Lok Sabha (Jharkhand)	-	8- Ranchi, 9- Jamshedpur, 10- Singhbhum (ST). (Total 03 PCs)
	Lok Sabha (Mahdy Pradesh)		9- Satna, 10-Rewa, 13-Jabalpur, 14-Mandia (ST), 15-Balaghat, 16-Chhindwara, 19-Bhopal, 29- Betul(ST). (Total 08 PCs)
	Lok Sabha (Maharashtra)	-	In the 19 PCs of Maharashtra as per List given in <u>Annexure-Maharashtra -I.</u>
	Lok Sabha (Odisha)	-	1-Bargarh, 3-Sambalpur, 9-Dhenk 10-Balangir, 11-Kalahandi, 21-Koraput (ST) (Total 06 PCs)
	-	Odisha Legislative Assembly	In the 24 ACs of Odisha as per List given in <u>Annexure-Odisha-I.</u>
	Lok Sabha (Rajasthan)	-	5-Sikar, 6-Jaipur-Rural, 7-Jaipur, 13-Ajmer (Total 04 PCs)

2. The Returning Officers of the above mentioned Parliamentary/Assembly Constituencies, be directed to allot the common symbol mentioned above to the candidates set up by the aforesaid registered un-recognised political party, subject to fulfillment of the provisions of Para 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 relating to setting up of candidates by the party. It may also be noted that said common symbol allotted to the candidates of the above mentioned political party, is not allotted by oversight to any other candidate in these constituencies. However, the said symbol shall be available for allotment as free symbol to other candidates in all other constituencies, and in the constituencies where the aforesaid party do not actually set up their candidates.


3. (a) In the event of the above said party failing to meet the requirement of the minimum number of candidates, as prescribed in Para 10B of the said Symbols Order, 1968, i.e., 10% of

total number of Parliamentary Constituencies in the concerned State/UT subject to a minimum of two constituencies in States having less than twenty parliamentary constituencies allotted to the State (except the States having only one seat), in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates, then the said common symbol shall not be available to their candidates.

And/or

(b) In the event of the above said party failing to meet the requirement of the minimum number of candidates, as prescribed in Para 10B of the said Symbols Order, 1968, i.e., 10% of total number of Assembly Constituencies in the concerned State in case of Assembly election, then the said common symbol shall not be available to its candidates.

Yours faithfully,


(VARINDER KUMAR)
SECRETARY

Copy to

Sl. No.	Name of the Party	Instructions												
1.	The President, Ambedkarite Party of India, C/o 26, Bhoslewadi, Near Awade Babu Square, Lasskaribagh, Nagpur-17, Maharashtra	(i) It is informed that the party and the candidates must comply with each of the provisions of Para 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. (ii) The new proposed symbols have not been granted to your party due to the reasons given below:-												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Proposed Symbol</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>People</td> <td>As per practice symbols depicting human beings are not allotted.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hand</td> <td>This symbol resembles to the reserved symbol of Indian National Congress a National recognized party.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Book Pen</td> <td>This symbol resembles the reserved symbol of National Peoples Party a State recognized party in the State of Meghalaya.</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Proposed Symbol	Remarks	1	People	As per practice symbols depicting human beings are not allotted.	2	Hand	This symbol resembles to the reserved symbol of Indian National Congress a National recognized party.	3	Book Pen	This symbol resembles the reserved symbol of National Peoples Party a State recognized party in the State of Meghalaya.
Sl. No.	Proposed Symbol	Remarks												
1	People	As per practice symbols depicting human beings are not allotted.												
2	Hand	This symbol resembles to the reserved symbol of Indian National Congress a National recognized party.												
3	Book Pen	This symbol resembles the reserved symbol of National Peoples Party a State recognized party in the State of Meghalaya.												

2. All Pr. Secretaries and Secretaries of Election Commission of India.
3. All Zonal Sections of Election Commission of India.
4. Guard File.

Name of the Election	General Election to Lok Sabha, 2014
Name of the Party	Ambedkarite Party of India
Common Symbol allotted	Coat
<ol style="list-style-type: none">1. Surguja (ST)2. Raigarh (ST)4. Korba5. Bilaspur6. Rajnandgaon7. Durg8. Raipur9. Mahasamund10. Bastar (ST)11. Kanker (ST)	
<u>Total 10 Parliamentary Constituencies</u>	

Handwritten signature

Name of the Election	General Election to Lok Sabha, 2014
Name of the Party	Ambedkarite Party of India
Common Symbol allotted	Coat
4. Raver	
5. Buldhana	
7. Amravati (SC)	
8. Wardha	
9. Ramtek (SC)	
10. Nagpur	
11. Bhandara- Gondiya	
12. Gadchiroli- Chimur (ST)	
13. Chandrapur	
14. Yavatnal- Washim	
18. Jalna	
24. Kalyan	
25. Thane	
29. Mumbai North- Central	
30. Mumbai South - Central	
34. Pune	
39. Beed	
40. Osmanabad	
41. Latur (SC)	
Total 19 Parliamentary Constituencies	

V. S. Kulkarni

Name of the Election	General Election to Legislative Assembly Odisha, 2014
Name of the Party	Ambedkarite Party of India
Common Symbol allotted	Coat
	2. Bijepur, 3. Bargarh, 5. Bhatli, 19. Deogarh 55. Dhenkanal, 59. Pallahara 60. Talcher 62. Chhendipada (SC), 64. Birmaharajpur (SC), 65. Sonapur, 66. Loisingha (SC), 68. Bolangir, 69. Titlagarh, 71. Nuapada, 72. Kharlar, 77. Lanjigarh (ST), 78. Junagarh, 79. Dharmgarh, 80. Bhawanipatna (SC), 81. Naria 140. Rayagada (ST), 141. Laxmipur (ST), 143. Jeypore, 144. Koraput (SC), <u>Total 24 Assembly Constituencies</u>

Varun Kumar

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर

10 बरतार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

महोदय,

मेरे द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10-बरतार (अजजा) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरा सही नाम नीचे लिखे अनुसार है :-

अर्जुन सिंह ठाकुर

2. मैं क्षेत्र में निम्न नाम से जाना जाता हूँ अतः मतपत्र में मेरा नाम तदनुसार लिखा जावे

(हिन्दी में) अर्जुन सिंह ठाकुर

(अंग्रेजी में) ARJUN SINGH THAKUR

भवदीय



अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

निर्वाचन अधिकर्ता की नियुक्ति

[नियम 12(1) देखिए]

लोक सभा के लिए निर्वाचन



प्रेषणी—

रिटर्निंग ऑफिसर,

से. अर्जुन सिंह ठाकुर को आरक्षक राहित पार्टी काफवांडिया

उपनिर्दिष्ट निर्वाचन में अर्थात् विवेक कुमार सिंह को नामजुदाईल स्पष्ट
को उपनिर्दिष्ट निर्वाचन में उक्त से अपना निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

स्थान अर्जुन सिंह ठाकुर

तारीख 20/03/14

अर्थात् के हस्ताक्षर

यह उपनिर्दिष्ट नियुक्ति का प्रतिकृति प्रस्ता है।

स्थान

तारीख

निर्वाचन अधिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा

यहाँ रिप्रेजेंटिव अनुभवों में से एक, जो सतुष्टि हो, विवरण —

- (1) 10 अर्जुन निर्वाचन-घेरा से लोक सभा।
- (2) निर्वाचन-घेरा से विधान सभा।
- (3) (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचन संदर्भों द्वारा राज्य सभा।

अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन एजेंटों के नमूना हस्ताक्षर के लिए फार्मेट

सामान्य/द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन 2014 (वर्ष/वर्ष)







विधानसभा

लोकसभा

निर्वाचन क्षेत्र 10 बैतूल

(जो लागू नहीं होता उसे काट दें)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और निर्वाचन एजेंटों के नमूना हस्ताक्षर मतदान के समय मतदान एजेंटों की नियुक्ति-पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर के सत्यापन के प्रयोजन के लिए नीचे दिया गया है -

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम	नमूना हस्ताक्षर	उनके निर्वाचन एजेंट का नाम	नमूना हस्ताक्षर
1. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)		1. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)	
2. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)		2. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)	
3. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)		3. श्री/श्रीमती/सुश्री (अभ्यर्थी सं. 1)	

आदि

आदि

स्थान - बैतूल

तारीख - 20/03/14

हस्ताक्षर

(सील)

रिटर्निंग ऑफिसर